

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

सहीराम बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा

मु0नं0 510 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1121

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>03-09-2025</p>	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री रोशनलाल अग्रवाल एड0 उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली 03.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten signature</i></p> <p style="text-align: center;">राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/10/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">8/10/25</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यवस्थित है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">09/12/2025</p> <p style="text-align: center;">वकील वादी उप0। वकील वादी ने प्राथम्य पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद में जानकी कुटी लखे के कारण वादी वाद को बिना कर नया वाद प्रस्तुत करना</p>	<p style="text-align: right;"><i>Handwritten signature</i></p> <p style="text-align: right;">S — R —</p>

चाहता है। अतः नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति
देते हुए उक्त वाद विद्वा फलाने की रूपा के।
वकील वादी का प्रारम्भ न्यायहित में हकीकात का
नया वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान
की जाकर उक्त आवेदनी प्रमाण दली एवं पद
उत्पन्न किया जाता है। फतावली फलाने वामात होकर
नाम्बल से काम हो तथा वाद लकरील दायिल
दफतर हो। निर्णय लो इजलास सुनाया गया।
शुक्र